दिनांक 12.08.2022
प्रेस विज्ञप्ति 12/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

फेसबुक, व्हाट्सएप्प व अन्य माध्यम से (हनी ट्रैप) फ्रॉड सम्बन्धी साइबर अपराध से बचाव/सावधानियॉ

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 स्तर से साइबर अपराध व अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के साथ–साथ पुलिस कार्मिको को प्रशिक्षित करने व जनमानस को जागरूक करने हेतु कार्यशाला/जागरूकता अभियान चलाये जाने आदि के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्देश निर्गत किये गये है, जिसके क्रम में साइबर मुख्यालय उ0प्र0 द्वारा फेसबुक, व्हाट्सएप्प व अन्य माध्यम से (हनी ट्रैप) फ्रॉड सम्बन्धी अपराध से बचने के सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिये गये है।

अपराध का तरीका(Modus Operandi)–

1– इस प्रकार के मामलों मे अपराधियों के द्वारा फर्जी फेसबुक अकाउण्ट बनाकर लड़की का प्रोफाइल फोटो लगाकर लोगों को फ्रेन्ड रिक्वेस्ट भेजी जाती है । रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद मैसेन्जर से चैट करना शुरू करते हैं तथा व्हाट्सएप नम्बर मांग लेते हैं । नम्बर प्राप्त होने के बाद लडकी के द्वारा फेसबुक मैसेन्जर/व्हाट्सएप मैसेन्जर के माध्यम से वीडियो कॉल किया जाता है । इस वीडियो कॉल में सामने वाली लड़की द्वारा स्क्रीन रिकार्डर के माध्यम से अपना व पीड़ित का अश्लील वीडियो बना लिया जाता है । कॉल समाप्त होने के बाद वही वीडियो, पीड़ित के मोबाइल पर भेजकर ऑनलाइन प्लेटफार्म पर वायरल करने की धमकी देकर, पैसे की मांग की जाती है । पैसे न देने पर क्राइम ब्रांच अधिकारी, सीबीआई अधिकारी, यूट्यूब अधिकारी बनकर धमकाया जाता है कि पैसा न देने पर तुम्हारा वीडियो अपलोड कर दिया जायेगा और यदि पैसा दे दिया तो डिलीट कर दिया जायेगा ।

2–एडल्ट साइट्स पर ऑन लाइन वीडियो चैट करने का ऑप्सन अपराधियों द्वारा दिया जाता है। पीड़ित द्वारा झांसे में आने पर वीडियो चैट एक्सेप्ट कर लिया जाता है वीडियो चैट एक्सेप्ट करने पर अपराधी द्वारा पीड़ित का अश्लील वीडियो बना लिया जाता है। अश्लील वीडियो बनाने के बाद में वीडियो ऑन प्लेटफार्म पर अपलोड करने की धमकी देकर पैसे की मांग की जाती है ।

3–मैट्रीमोनियल साइट्स पर शादी के नाम पर दोस्ती की जाती है और आपस में चैट के माध्यम से बातें की जाती हैं और जब अपराधी पीड़ित को विश्वास में ले लेता है उसके बाद उसे वीडियो मैसेन्जर एप के द्वारा वीडियो कॉल करके पीड़ित का अश्लील वीडियो बना लिया जाता है, अश्लील वीडियो बनाने के बाद में वीडियो, ऑन प्लेटफार्म पर अपलोड करने की धमकी देकर पैसे की मांग की जाती है ।

<u>बचाव का तरीका–</u> उपरोक्त फ्रॉड से बचने के लिए निम्न सावधानियां अपनायी जानी चाहिए ।

- अनजान व्यक्तियों का फेसबुक तथा अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें ।
- अपने फेसबुक प्रोफाइल को लॉक करके रखें ।
- अनजान नम्बरों से आने वाली वीडियो कॉल स्वीकार न करें । यदि किसी कारणवश कॉल रिसीव करना आवश्यक हो तो पहले कैमरे को ढक कर यह जांच लें कि सामने वाला व्यक्ति आपका जानने वाला है या नहीं ।
- किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि मैसेन्जर के माध्यम से पैसे की मांग की जाती है तो पहले उसकी प्रमाणिकता की जांच कर लें ।
- अपने खाते से सम्बन्धित गोपनीय जानकारी जैसे खाता नम्बर, सीआईएफ नम्बर,एटीएम कार्ड नम्बर, एटीएम पिन, सीवीवी नम्बर, डेट ऑफ एक्सपायरी और ओटीपी किसी को भी न दें ।

- किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें ।

- एडल्ट साइट्स को विजिट न करें और न ही अश्लील वीडियो चैट का अनुरोध स्वीकार करें ।
- मैट्रीमोनियल साइट्स पर वीडियो चैट/कॉल करने में सावधानी बरतें । किसी भी प्रकार का अश्लील चैट न करें ।
- साइबर अपराधियों के झांसे में न आयें और उनके धमकाने पर पैसे न भेजें ।

साइबर वित्तीय फ्रॉड हो जाने पर तत्काल 1930 पर कॉल करें अथवा साइबर क्राइम होने पर www-cybercrime-gov.in पर शिकायत दर्ज करें ।

जनपद एटा/थाना जैथरा/रिजोर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 15 हजार 200 रूपये नगद**
- **01 अवैध पिस्टल, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 11/12.08..2022 की रात्रि थाना जैथरा/रिजोर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकन का प्रयास किया गया, तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त भीष्मपाल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 15 हजार 200 रूपये नगद, 01 अवैध पिस्टल, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद कासगंज, एटा के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 15 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद एटा से वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये थाना राजा का रामपुर क्षेत्र में हुई लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना रिजोर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—भीष्मपाल निवासी ग्राम महमन्ता थाना जैथरा जनपद एटा।

बरामदगी

1—लूट के 15 हजार 200 रूपये नगद।

2—01 अवैध पिस्टल, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

3—01 मोटर साइकिल।

जनपद रायबरेली/थाना कोतवाली नगर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 कार**
- **04 चाबियां**
- **01 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 12.08..2022 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तेलिया कोट के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रजत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 कार, 04 चाबियां, 01 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रजत निवासी इन्द्रपुरी मानसनगर थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ।

बरामदगी

1— चोरी की 05 कार।

2—04 चाबियां।

3—01 मोबाइल फोन आदि।

जनपद हापुड/थाना बाबूगढ़

- **05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 लाख 38 हजार रूपये नगद**
- **लगभग 15 लाख रूपये कीमत के सोने–चाँदी के आभूषण, सोलर पैनल, 02 बैट्री, अल्टीनेटर**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कैन्टर वाहन आदि बरामद**

दिनांक 11.08.2022 को थाना बाबूगढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बागडपुर बाईपास अंडरपास के पास से 05 शातिर अभियुक्तों 1–ननुआ 2–परवेज 3–अभिषेक उर्फ टिड्डा 4–अभिषेक उर्फ चावल 5–आरिफ उर्फ भूरा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 लाख 38 हजार रूपये नगद, लगभग 15 लाख रूपये कीमत के सोने–चाँदी के आभूषण, सोलर पैनल, 02 बैट्री, अल्टीनेटर, 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 कैन्टर वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त ननुआ के विरूद्ध जनपद हापुड, गाजियाबाद के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 12 अभियोग, अभियुक्त परवेज के विरूद्ध जनपद हापुड, बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग, अभियुक्त अभिषेक उर्फ टिड्डा के विरूद्ध जनपद हापुड के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग, अभियुक्त अभिषेक उर्फ चावल के विरूद्ध जनपद हापुड के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग एवं अभियुक्त आरिफ उर्फ भूरा के विरूद्ध जनपद हापुड के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओ से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बाबूगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–ननुआ निवासी सादक की पुलिया कैला भट्टा थाना कोतवाली नगर जनपद गाजियाबाद।

2–परवेज निवासी बडी मस्जिद के पास कस्बा व थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड।

3–अभिषेक उर्फ टिड्डा निवासी राजा डेरी के पास इमली वाला मोहल्ला कस्बा व थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड।

4–अभिषेक उर्फ चावल निवासी बिलासपुर थाना स्वार जनपद रामपुर, हालपता फौजी कालोनी कस्बा व थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड।

5–आरिफ उर्फ भूरा निवासी कस्बा बाबूगढ़ थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड।

बरामदगी

1–01 लाख 38 हजार रूपये नगद।

2–लगभग 15 लाख रूपये कीमत के सोने–चाँदी के आभूषण, सोलर पैनल, 02 बैट्री, अल्टीनेटर।

3–03 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 01 कैन्टर वाहन आदि।

जनपद हापुड़/थाना सिम्भावली

- **05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 06 लाख रूपये कीमत के चोरी के सामान**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 वाहन आदि बरामद**

दिनांक 11.08.2022 को थाना सिम्भावली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नवादा नहर पुल के पास चेकिंग के दौरान 05 शातिर अभियुक्तों 1– जावेद 2– अय्यूब

3—नसीम 4—कलुआ 5—अजीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 06 लाख रूपये कीमत के चोरी के सामान (48 बडे भगोने, 16 भगोने के ढक्कन, 08 बडी परात, पंखा, 01 बडा गैस सिलेन्डर, गैस चूल्हा, 09 बैट्रा, 01 जनरेटर सेट का इंजन, 01 जनरेटर का अल्ट्रानेटर, 05 प्लेटस अल्टरनेटर, समर्सिबल मोटर के पार्टस आदि, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 वाहन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त जावेद के विरूद्ध जनपद हापुड, मेरठ, बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग, अभियुक्त कलुआ के विरूद्ध जनपद हापुड, बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग एवं अभियुक्त अय्यूब, नसीम, व अजीम के विरूद्ध जनपद हापुड, बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 04—04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सिम्भावली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—जावेद निवासी बोन्दरा थाना किठौर जनपद मेरठ।

2—अय्यूब निवासी वैठ थाना सिम्भावली जनपद हापुड।

3—नसीम निवासी बोन्दरा थाना किठौर जनपद मेरठ।

4—कलुआ निवासी बोन्दरा थाना किठौर जनपद मेरठ।

5—अजीम निवासी गंगावली थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 06 लाख रूपये कीमत के चोरी के सामान।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस।

3—घटना में प्रयुक्त 02 वाहन आदि।

जनपद अलीगढ़/थाना रोरावर

- **03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 53 हजार 500 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल**

दिनांक 11.08.2022 को थाना रोरावर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुराना मथुरा बाईपास पुल के नीचे से 03 अभियुक्तों 1—इस्लाम 2—सद्दाम उर्फ पड्डा उर्फ सलमान 3—आशू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 53 हजार 500 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त इस्लाम के विरूद्ध जनपद अलीगढ़ के थाना टप्पल पर डकैती, चोरी, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग, अभियुक्त सद्दाम उर्फ पड्डा उर्फ सलमान के विरूद्ध विभिन्न थानो पर चोरी, आर्म्स एक्ट, सीएस एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना रोरावर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—इस्लाम निवासी मोहल्ला कुरैशियान कस्बा थाना टप्पल जनपद अलीगढ़।

2—सद्दाम उर्फ पड्डा उर्फ सलमान निवासी रामपुर शाहपुर चंडौस जनपद अलीगढ़।

3—आशू निवासी काजीपाडा कस्बा व थाना टप्पल जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1—लूट के 53 हजार 500 रूपये नगद।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित।

3—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

जनपद उन्नाव/थाना गंगाघाट

- **03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के सोने के आभूषण**
- **लूट के 1300/—रूपये नगद, 01 आधार कार्ड**
- **02 अवैध तमंचा 12 बोर, 04 जीवित कारतूस**
- **02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 12.08.2022 को थाना गंगाघाट व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गंगा बैराज रोड ट्रांस गंगा सिटी गेट नं0—3 से 03 शातिर अभियुक्तों 1—धीरेन्द्र उर्फ धीरु 2—लखन 3—भैयालाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के सोने के आभूषण, लूट के 1300/—रूपये नगद, 01 आधार कार्ड, 02 अवैध तमंचा 12 बोर, 04 जीवित कारतूस, 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त भैयालाल के विरूद्ध जनपद उन्नाव के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 17 अभियोग, अभियुक्त लखन के विरूद्ध जनपद उन्नाव के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत हैं। दिनांक 27.07.2022 को थाना गंगाघाट क्षेत्रान्तर्गत बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गंगाघाट पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया आदि लूट की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना गंगाघाट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—धीरेन्द्र उर्फ धीरु निवासी नेहरूनगर शुक्लागंज थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव।

2—लखन निवासी विक्रमखेडा थाना अजगैन जनपद उन्नाव।

3—भैयालाल निवासी चौरा थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव।

बरामदगी

1—लूट के सोने के आभूषण।

2— लूट के 1300/—रूपये नगद, 01 आधार कार्ड।

3— 02 अवैध तमंचा 12 बोर, 04 जीवित कारतूस।

4—02 मोटर साइकिल आदि।

जनपद फिरोजाबाद/थाना उत्तर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **05 अवैध पिस्टल, 01 जीवित, 02 खोखा, 02 मैगजीन**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 12.08.2022 को थाना उत्तर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बैंदी पुलिया के पास पुलिस कार्यवाही में शातिर अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जैनी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 05 अवैध पिस्टल, 01 जीवित, 02 खोखा, 02 मैगजीन, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना उत्तर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जितेन्द्र उर्फ जैनी निवासी नगला करन सिंह गली न0—5 थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1—05 अवैध पिस्टल, 01 जीवित, 02 खोखा, 02 मैगजीन।

2—01 मोटर साइकिल।

जनपद गोण्डा/थाना कोतवाली देहात

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 11/12.08.2022 की रात्रि थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1—आजम 2—नान्हे प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिल बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो जनपद गोण्डा व आसपास के जनपदों से मोटर साइकिल चोरी कर नम्बर प्लेट बदलकर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आजम निवासी खोरहंसा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

2—नान्हे प्रसाद निवासी जमदरा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी

1—चोरी की 06 मोटर साइकिल।

———————